संख्या- 6/2017/152/पचासी-17-10(परती भूमि)/08टी.सी.

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1ए/206/2009(खण्ड-।।।।)/924, दिनांक 31-12-2016 एवं अन्तिम पत्र संख्या- 1ए/206/2009(खण्ड-।।।।।)/1090, दिनांक 09-03-2017 के सन्दर्भ मे तथा परती भूमि विकास विभाग के शासनादेश संख्या-89/पचासी-2008-10(परती भूमि)/08, दिनांक 02.09.2008, शासनादेश संख्या-158/पचासी-2008-10(परती भूमि)/08, दिनांक 17.10.2008, शासनादेश संख्या-174/पचासी-2009-10(परती भूमि)/08टी.सी.(क), दिनांक 20 मई, 2009 तथा शासनादेश संख्या-129/पचासी-2009-10(परती भूमि)/08, दिनांक 25 मई, 2009 एवं शासनादेश संख्या-451/पचासी-परती-2011-10(परती भूमि)/08टी.सी.-क, दिनांक 17.10.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर उक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा सृजित कुल 776 अस्थाई पदों को, वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 28.02.2014 तक निरन्तर चलते रहने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-133/पचासी-2013-10(परती भूमि)/08टी.सी., दिनांक 13 मई, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-222/पचासी-परती-2013, दिनांक 24.06.2013 द्वारा विभिन्न प्रकृति के 53 पद एवं शासनादेश संख्या-647/पचासी-2012-328-पचासी-परती-2012, दिनांक 16.07.2013 द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रक्षेत्र विकास एवं जल निकास) के 01 अस्थायी पद वेतनमान रूपये 15600-39100, ग्रेड-पे 6600 में दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त के क्रम में निम्न शासनादेशों द्वारा उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर निरन्तरता निम्नवत जारी की गयी है-

क्र0सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	वित्तीय वर्ष एवं अवधि	पदों की संख्या
1	158/पचासी-2010-10(परती	02 मार्च, 2010	वर्ष 2010-11	774

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	भूमि) / 08टीसी		(दिनांक 01.03.2010 से 28.02.2011 तक)	
2	119 / पचासी-2011-10(परती भूमि) / 08टीसी	18.05.2011	वर्ष 2011-12 (दिनांक 01.03.2011 से 29.02.2012 तक)	774
3	41 / पचासी-2012-10(परती भूमि) / 08टीसी	03.04.2012	वर्ष 2012-13 (दिनांक 01.03.2012 से 28.02.2013 तक)	776
4	133 / पचासी-2013-10(परती भूमि) / 08टीसी	13.05.2013	वर्ष 2013-14 (दिनांक 01.03.2013 से 28.02.2014 तक)	776
5	83 / पचासी-2014-10(परती भूमि) / 08टीसी	28.03.2014	वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.03.2014 से 28.02.2015 तक)	830
6	103 / पचासी-15-10(परती भूमि) / 08टीसी	18.03.2015	वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.03.2015 से 29.02.2016 तक)	830
7	4 / 2016 / 56 / पचासी-16-10(परती भूमि) / 08टी.सी.	09-03-2016	वर्ष 2016-17 (दिनांक 01.03.2016 से 29.02.2017 तक)	830

2; अंतिम बार शासनादेश संख्या- 222 / पचासी-परती-2013, दिनांक 24.06.2013 द्वारा विभिन्न प्रकृति के 53 पद एवं शासनादेश संख्या-647 / पचासी-2012-328-पचासी-परती-2012, दिनांक 16.07.2013 द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रक्षेत्र विकास एवं जल निकास) के 01 अस्थायी पद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वेतनमान रूपये 15600-39100, ग्रेड-पे 6600 में दिनांक 31.12.2015 तक कुल 54 पदों को उपरोक्त में जोडते हुए 830 पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या- 4/2016/56/पचासी-16-10(परती भूमि)/08टी.सी., दिनांक 09 मार्च, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3; चूँकि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु पदों को बनाये रखने के लिए आवश्यक बताया गया है, अत: उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश क्रमश: दिनांक 13.05.2013, 24.06.2013 एवं 16.07.2013 में निधार्रित शर्तो एवं प्रतिबन्ध के अधीन, प्रश्नगत 830 अस्थायी पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक बनाये रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

4- यह आदेश वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2-877/दस-92-24(87)/92, दिनांक 17.11.1992 मे उल्लिखत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 6/2017/152(1)/पचासी-17-10(परती भूमि)/08टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा परीक्षा,उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र गौतम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।